ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 19/2023-24

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख: 20 सितंबर, 2023

विषय : मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2024 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

प्राधिकरण ने दिनांक 22 मार्च, 2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 द्वारा निम्नलिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों को अन्य बातों के साथ-साथ 01.04.2023 से 30.09.2023 तक छ: (06) माह की अगली अवधि, या, उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंतरिम आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी:

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)	लखनऊ
2.	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
3.	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
4.	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
5.	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (केआईएएल)	कन्नूर
6.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	श्रीनगर
7.		पटना
8.		भुवनेश्वर
9.	गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	मोपा, गोवा
10	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	शिर्डी

1.2 इसके अतिरिक्त ऐरा ने दिनांक 22;03.2023 के आदेश संख्या 41/2022-23 के दिनांक 07.06.2023 के परिशिष्ट द्वारा शिर्डी हवाईअड्डे के संबंध में अंतरिम आधार पर 16.06.2023 से 30.09.2023 तक या नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संशोधित वैमानिक प्रभार जारी किए।

2. प्राधिकरण ने उपर्युक्त हवाईअड्डों के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने और एएआई के इंदौर और कोयम्बटूर स्थित दो और हवाईअड्डों को (प्रमुख हवाईअड्डों के रूप में) शामिल करने संबंधी स्थिति की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

(i) लखनऊ हवाईअड्डा और श्रीनगर हवाईअड्डे के लिए टैरिफ आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

(ii) मोपा, गोवा हवाईअड्डे के संबंध में तदर्थ टैरिफ ऐरा के दिनांक 26.08.2022 के आदेश संख्या 19/2022-23 के दिनांक 11.09.2023 के परिशिष्ट द्वारा पहले ही 31.12.2023 तक बढ़ाई जा चुकी है।

(iii) जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, भुवनेश्वर और शिर्डी हवाईअड्डों संबंधी बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तावों की जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में थोड़ा और समय लगने की संभावना है।

(iv) पटना, इंदौर और कोयम्बटूर हवाईअड्डों संबंधी बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव अभी एएआई से प्राप्त होने हैं।

3. उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, पटना, भुवनेश्वर, इंदौर, कोयम्बटूर और शिर्डी हवाईअड्डों के संबंध में वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम रूप से टैरिफ निर्धारित करने में थोड़ा और समय लगेगा। तदनुसार प्राधिकरण निम्नानुसार निर्णय लेता है:

(क) निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में 30.09.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 01.10.2023 से 31.03.2024 तक अगले 06 (छ:) माह की अवधि के लिए या संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाना:

<u>तालिका 1</u>

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
2.	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
3.	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
4.	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (केआईएएल)	कन्नूर
5.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	पटना
6.		भुवनेश्वर
7.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	शिर्डी

(ख) इंदौर और कोयम्बटूर हवाईअड्डों को भी 31.03.2023 को लागू वैमानिक टैरिफ 01.10.2023 से 31.03.2024 तक छ: (06) माह के लिए या संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्‌द्वारा आदेश देता है कि:

(i) **हवाईअड्डा प्रचालकों (उपर्युक्त तालिका-I की क्रम संख्या 1 से 7 में सूचीबद्ध)** को 30.09.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 01.04.2023 से 30.09.2023 तक अगले छ: (06) माह तक या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इंदौर और कोयम्बटूर हवाईअड्डों के हवाईअड्डा प्रचालकों (एएआई) को 31.03.2023 को लागू वैमानिक टैरिफ 01.10.2023 से 31.03.2024 तक छ: (06) माह के लिए या संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

1. अध्यक्ष
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2. श्री मनोज चांदुका, उपाध्यक्ष (विनियामक मामले)
अदानी कॉर्पोरेट हाऊस,
शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्किल के पास, एस.जी. हाईवे,
खोडियार, अहमदाबाद- 382421

3. श्री जयकृष्णन एस
मुख्य वित्त अधिकारी
कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा
कारा पेरावूर पोस्ट ऑफिस मेट्टान्नूर,
कन्नूर -67**0702**

4. श्री संजय कंगणे,
मुख्य वित्त अधिकारी**,**
महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलमेंट कंपनी लिमिटेड
8वां तल**,** वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर**,**
कफ परेड**,** मुम्बई-**400005**

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. नागर विमानन महानिदेशालय को **-** एआईसी जारी करने के लिए